UPPB010026342026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1037/2026

अजय वाल्मीकि पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्दर, निवासी ग्राम–मुडिया अहमद नगर, थाना–इज्जतनगर, जिला–बरेली। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–117/2026,
अन्तर्गत धारा–326 (जी) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 15.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अजय वाल्मीकि की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–25.03.2026, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष मुक्तिधाम समिति, पीलीभीत के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली, जिला–पीलीभीत को इस आशय की प्राथमिकी दी गई है कि लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस के समीप दसवां संस्कार हेतु श्रद्धास्थल स्थित है। दिनांक–24.03.2026 की रात करीब 8:00 बजे अजय वाल्मीकि द्वारा श्रद्धास्थल को नष्ट करने के उद्देश्य से हाल की सीलिंग (फाल्स) में साजिशन आग लगा दी गई इससे लाखों की फाल्स सीलिंग जल गई व भवन को में नुकसान हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सुमन गुप्ता चीफ लीगल एड डीफेंस काउन्सिल द्वारा तर्क दिया गया है कि उसको प्रस्तुत वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना मनगढन्त एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है। वह पूर्व में सजायाफ़्ता नहीं है तथा वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–25.03.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, पीलीभीत के समीप स्थित दसवां संस्कार हेतु श्रद्धास्थल के हाल की सीलिंग को नष्ट करने के आशय से उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की जिससे लाखों की फाल्स सीलिंग जलकर नष्ट हो गई। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, पीलीभीत के समीप स्थित दसवां संस्कार हेतु श्रद्धास्थल के हाल की सीलिंग को नष्ट करने के आशय से उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित करने का आरोप है। मामले में आरोप–पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–25.03.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। लिहाजा इन

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.15 17:20:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिस्थितियों में यह अदालत आवेदक/अभियुक्त को जमानत पाने का हकदार मानती है क्योंकि 'जमानत सामान्य नियम है और जेल अपवाद'। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अजय वाल्मीकि का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसको अंकन 75,000/–(पिच्छहत्तर हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसको जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

1. वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. वह आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. वह किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगा।
4. वह जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

दिनांकः 15.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।